



कार्यालय क्षेत्र संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना (म० प्र०)



Phone No. +917732-252135 (O) Fax, +917732-252120

E-mail: fdptr@rediffmail.com Website: www.pannatigerreserve.in

प्रेस नोट

पन्ना टाइगर रिजर्व की शिकार रोकथाम रणनीति में एक और कामयाबी

पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ पुर्नस्थापना योजना के तहत अपनाई जा रही सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने का एक और प्रयास किया जा रहा था जिसको विभागीय अमले की तत्परता से असफल कर दिया गया। दिनांक 20.11.2011 को सरगुजा जिले के शिकारो घुमक्कड़ जाति के 08 शिकारियों ने पूरे परिवार सहित परिक्षेत्र चन्द्रनगर के बीट पलकोहा के कक्ष क्रमांक 537 में श्यामरी नदी की तराई में, जो पार्क सीमा के अन्दर है, डेरा डाला और तीतर तथा पेंगा पक्षियों को अपने फंदों में फंसा कर पकड़ा। उनके पास से मृत मछलियां भी जप्त की गईं। इनके पास से 07 जीवित तीतर पिंजरों में, एक पेंगा पक्षी जिवित पिंजरे में बंद तथा लगभग 4 कि.ग्रा. मछली और शिकार में उपयोग की जाने वाले सामग्री जैसे फंदे, पिंजरा, मछली पकड़ने की बंशी आदि जप्त किया गया। अपराधियों को मौके पर ही दबोच लिया गया तथा पी.ओ.आर. क्रमांक 336/18 दिनांक 20.11.2011 से वन अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय छतरपुर में पेश किया जा रहा है। पूरी कार्यवाही क्षेत्र संचालक एवं उप संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व के मार्गदर्शन में श्री एस.सी. मिश्रा सहायक संचालक मड़ला, श्री मान सिंह मरावी परिक्षेत्र अधिकारी चन्द्रनगर, श्री भाग चन्द्र लोधी परिक्षेत्र सहायक पलकोहा, श्री नन्हें सिंह वन रक्षक, अन्य कर्मचारी एवं श्रमिकों के द्वारा सम्पन्न किया गया। श्री बी.आर. गव्हाडे, अधीक्षक केन घड़ियाल अभयारण्य खजुराहो के द्वारा इस प्रकरण में तकनीकी योगदान दिया गया।

उल्लेखनीय है कि इसी रोकथाम रणनीति के फलस्वरूप ही दिनांक 20.10.2011 को पहले सूचना प्राप्त होने पर एक तेंदुए को फदे से मरने से बचाया गया था। शिकार के सम्बन्ध में कोई भी घुमक्कड़ जाति के व्यक्ति आपके इलाके में आते हैं तो पन्ना टाइगर रिजर्व के कण्ट्रोल रूम नं. 9424791285 पर सूचना देकर वन्य प्राणी संरक्षण में सहायोग हेतु आम एवं खास से आग्रह है।

दिनांक— 21.11.2011

क्षेत्र संचालक,
पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना